# बिहार सरकार
## सामान्य प्रशासन विभाग
### —: : आदेश : :—

**आदेश सं०—27/आरोप—01—05/2026—सा0प्र0.................पटना—15, दिनांक..................**

आवेदक श्री दयाशंकर तिवारी द्वारा दिनांक—19.12.2017 को लोक सूचना पदाधिकारी, जिला कार्यालय, पटना से सूचना की मांग की गयी एवं द्वितीय अपील दिनांक—23.08.2018 को दायर किया गया।

राज्य सूचना आयोग में दायर शिकायत वाद संख्या—A9679/2018 श्री दयाशंकर तिवारी बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार—सह—जिला पदाधिकारी, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी का कार्यालय, पटना में दिनांक—25.11.2020 को पारित आदेश में अंकित किया गया कि ज्ञापांक—2597 दिनांक—31.10.2020 के द्वारा सूचनावेदक को सूचना दी गयी। सूचना उपलब्ध कराने में 02 वर्ष 10 माह के विलम्ब के लिये तत्कालीन प्रतिवादी (श्री कुमारिल सत्यनंदन) के पूर्वाधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के बिन्दु पर जिला पदाधिकारी, पटना के संज्ञान में लाया गया।

उक्त के संदर्भ में जिलाधिकारी का कार्यालय, पटना से श्री तिवारी द्वारा सूचनावेदन दिनांक—11.01.2021 के माध्यम से जिला पदाधिकारी के द्वारा उन कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की गयी, से संबंधित कार्रवाई की छायाप्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया एवं द्वितीय अपील दिनांक—17.03.2021 को दायर किया गया।

राज्य सूचना आयोग में दायर शिकायत वाद संख्या—A7472/2021 श्री दयाशंकर तिवारी बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार—सह—जिला पदाधिकारी, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी का कार्यालय, पटना में दिनांक—14.03.2022 को पारित आदेश में अंकित किया गया कि वाद संख्या—A9679/2018 में जो आदेश दिया गया था उसमें 02 वर्ष 10 माह का विलम्ब पाया गया था। इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई हुई प्रतीत नहीं होती है। उपस्थित प्रतिवादी का कथन है कि उनके पूर्वाधिकारी कुमारिल सत्यनन्दन थे और अभी वे जिला विधि शाखा के प्रभार में हैं। कार्रवाई हेतु जो स्पष्टीकरण लिपिक से मांगा गया है। वह संभवतः आज की तिथि की सुनवाई हेतु किया गया है।

तदुपरांत राज्य सूचना आयोग के ज्ञापांक—257 दिनांक—07.04.2022 द्वारा आयोग के आदेश दिनांक—25.11.2020 के आलोक में तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु इस विभाग के संज्ञान में लाया गया।

विभागीय पत्रांक—9834 दिनांक—17.06.2022 एवं पत्रांक—21624 दिनांक—21.11.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना से सूचनावेदन दिनांक—19.12.2017 एवं सूचना उपलब्ध कराने की तिथि 31.10.2020 के बीच संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी की सूची मांगी गयी।

प्रभारी पदाधिकारी, लोक सूचना कोषांग, पटना के पत्रांक–114 दिनांक–22.01.2026 के साथ संलग्न जिला गोपनीय शाखा, पटना के पत्रांक–946 दिनांक–20.01.2026 द्वारा प्रतिवेदन इस विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री मनोज कुमार का नाम अंकित किया गया। श्री मनोज कुमार की प्रतिनियुक्ति दिनांक–11.09.2017 को हुई थी एवं उनकी प्रतिनियुक्ति दिनांक–07.05.2018 को समाप्त की गयी।

वर्णित तथ्यों की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सूचनावेदक द्वारा दिनांक–19.12.2017 को सूचना की मांग की गयी, उस समय श्री मनोज कुमार की प्रतिनियुक्ति थी और इनके द्वारा पूरे प्रतिनियुक्ति अवधि 08 माह के दौरान सूचनावेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। श्री कुमार दिनांक–30.04.2025 को सेवानिवृत हो चुके हैं।

श्री मनोज कुमार के विरूद्ध उक्त आरोप वर्ष 2017 से 2019 के बीच की अवधि का है। बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के प्रावधानों के तहत कालबाधित हो चुकी है। उक्त स्थिति में श्री मनोज कुमार के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है।

समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री मनोज कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित इस शिकायत प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया।

अतएव सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मनोज कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 170 / 2024, तत्कालीन जिला सशस्त्र शाखा, पटना के प्रभारी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित इस शिकायत प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

ह0 / –

**(शालिग्राम पाण्डेय)**

सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

**ज्ञापांक–27 / आरोप–01–05 / 2026–सा0प्र0....4432....पटना–15, दिनांक....6.3.26**

प्रतिलिपिः– राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / ानुसार श्री मनोज कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 170 / 2024, तत्कालीन जिला सशस्त्र शाखा, पटना वर्तमान पता–पिता स्व0 कमल प्रसाद, मकान सं0–76, रोड नं0–14, श्रीकृष्णा नगर, पो0–किदवईपुरी, थाना–श्रीकृष्णा नगर, जिला–पटना, पिन–800001, मो0 नं0–94302270021, 7004377919 /अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12 एवं 14, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06.03.26

सरकार के अवर सचिव।